पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

जित नारायण सिंह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य परिवहन निगम एवं अन्य

2016 की विविध अपील सं. 285

06 फरवरी 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत याचिका, अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत निर्धारित राहत प्राप्त करने के बाद, पोषणीय है?

हेडनोट्स

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 166, 163 ए, 140 - दोषरहित दायित्व के सिद्धांत पर मुआवज़ा प्राप्त करने के बाद दावा याचिका की पोषणीयता - विवादित निर्णय को अपास्त करने हेतु अपील जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावेदारों-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका को पोषणीय न होने के आधार पर खारिज कर दिया है।

निर्णय: स्थापित कानून के अनुसार अधिनियम की धारा 140 के तहत एक आवेदन को दोष रहित दायित्व के सिद्धांत पर स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई होगी, लेकिन एक बार दावेदारों ने मुआवजे का लाभ उठा लिया, तो उन्हें 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत एक और आवेदन दायर करने से रोक दिया जाएगा - हालांकि 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए और 166 वैधानिक योजना के अनुसार अंतिम और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दावेदार एक साथ उनके तहत अपने उपायों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं - दुर्घटना के शिकार या उनके आश्रितों के पास अधिनियम की धारा 166 के तहत या अधिनियम की धारा 163 ए के तहत आगे बढ़ने का विकल्प है - एक बार जब वे अधिनियम की धारा 166 के तहत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उन्हें संबंधित वाहन के चालक या मालिक की लापरवाही स्थापित करने का भार अपने ऊपर लेना होगा - लेकिन, यदि वे अधिनियम की धारा 163 ए के तहत आगे बढ़ते हैं, तो पीड़ित या उसके आश्रितों को मालिक या वाहन या चालक की ओर से कोई लापरवाही या चूक स्थापित करने के लिए कहे बिना अनुसूची के

अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। वाहन - वर्तमान मामले में दावेदारों ने 1988 के अधिनियम की धारा 140 के तहत बिना किसी गलती के आधार पर अपना उपाय प्राप्त किया - उनके पास 1988 के अधिनियम की धारा 140 या धारा 163 ए के तहत अपना उपाय प्राप्त करने का विकल्प था - एक बार जब उन्होंने अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्धारित निश्चित राशि के लिए जाने का विकल्प चुना, तो 1988 के अधिनियम की धारा 163 बी के मद्देनजर उन्हें धारा 163 बी के तहत आवेदन दायर करने से रोक दिया गया है जो संरचित सूत्र के आधार पर अनुसूची II के अनुसार मुआवजे का प्रावधान कर रही है - दावेदार धारा 166 के तहत आवेदन का विकल्प चुन सकते थे और 1988 के अधिनियम की धारा 140 के तहत अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना कर सकते थे - विधायिकाओं ने कभी यह परिकल्पना नहीं की थी कि दावेदार उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के बाद एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में स्थानांतरित हो जाएंगे - विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है - अपील खारिज। (कंडिका- 15, 21, 22, 26-28)

न्याय दृष्टान्त

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम फिदा हुसैन एवं अन्य **2002 (50) बीएलजेआर 44;** केशवन नायर बनाम राज्य बीमा अधिकारी **1971 (एसीजे) 219 (केरल);** मंजुश्री राहा बनाम बी.एल. गुप्ता **(1977) 2 एससीसी 174;** मोटर ओनर्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जादवजी केशवजी मोदी **(1981) 4 एससीसी 660;** श्रीमती याल्वा एवं अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य **(2007) 6 एससीसी 657;** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहिउद्दीन कुरैशी उर्फ मोहम्मद मोया एवं अन्य **1994 एसीजे 74 (पटना);** वीणा देवी एवं अन्य बनाम राम नंदन प्रसाद एवं अन्य **2013 (2) पीएलजेआर 123** - संदर्भित; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम धनबाई कांजी गढ़वी एवं अन्य **(2011) एससीसीआर 409 : (2011) 11 एससीसी 513** - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर वाहन दावा मामला; मुआवजा; 'त्रुटि के बिना दायित्व' सिद्धांत; त्रुटि के बिना दायित्व के सिद्धांत पर मुआवजा प्राप्त करने के बाद दावा याचिका की स्वीकार्यता; दुर्घटना का शिकार; मालिक; वाहन या चालक की ओर से लापरवाही या चूक।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-V-सह-मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, रोहतास द्वारा एम.वी. दावा मामला संख्या 76/2009 में पारित दिनांक 21.11.2015 का निर्णय और दिनांक 02.03.2016 का अधिनिर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री दीन बंधु सिंह, अधिवक्ता; श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से: श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 की विविध अपील सं.285

==========

1. जित नारायण सिंह उर्फ सत्य नारायण सिंह, पिता स्व. शिव पूजन सिंह
2. मनीष कुमार
3. पीयूष कुमार
4. राहुल कुमार (क्रम सं. 2 से 4, जित नारायण सिंह उर्फ सत्य नारायण सिंह के अवयस्क पुत्र, नैसर्गिक अभिभावक एवं अगला मित्र)

सभी निवासी, ग्राम- बिलारी, डाकघर- सिलारी, थाना- करगहर, जिला-रोहतास।

... ... अपीलकर्ता/ ओं

बनाम

1. बिहार राज्य परिवहन निगम, पटना — बस सं. बीआर 3 पी/0257 का मालिक।
2. यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जी.टी. रोड, सासाराम, डाकघर + थाना – सासाराम, जिला – रोहतास, बीमाकृत बस सं. बीआर 3 पी/0257 के माध्यम से।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री दिन बन्धु सिंह, अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 1 की ओर से : श्री पी. के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता सं. 2 की ओर से : श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद
मौखिक निर्णय
दिनांक:06-02-2023

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री दिनबन्धु सिंह, विद्वान अधिवक्ता, जिनका सहयोग श्री सन्तोष कुमार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया तथा संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड उत्तरदाता सं. 2 की ओर से श्री अशोक प्रियदर्शी, विद्वान अधिवक्ता, और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम उत्तरदाता सं. 1 की ओर से श्री अरविन्द कुमार, विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान अपील उस निर्णय दिनांक 21.11.2015 तथा पंचार्ट दिनांक 02.03.2016 को निरस्त करने हेतु दायर की गई है, जो माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–V सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रोहतास (आगे 'न्यायाधिकरण' कहा जाएगा) द्वारा मोटर वाहन दावा वाद सं. 76/2009, सी.आई.एस. सं. 193 (सी.आई.एस. सं. 193/2013) में पारित किया गया था, जिससे और जिसके तहत अपीलकर्ता–दावेदारों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (आगे 'अधिनियम, 1988' कहा जाएगा) की धारा 166 के अंतर्गत दायर दावा याचिका को अग्राह्य मानते हुए खारिज कर दिया गया।

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

3. इस मामले में दावा करने वाले व्यक्ति एक पति एवं उनकी तीन नाबालिग संतानें हैं, जो स्वर्गीय कंचन देवी की उत्तराधिकारी हैं। दावेदारों का कथन है कि दिनांक 27.06.2005 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 पर, पण्डितपुरा, थाना दीनारा (भानस), जिला रोहतास के सामने एक सड़क दुर्घटना घटित हुई। उक्त दुर्घटना में उत्तरदाता सं. 1 (विपक्षकार सं. 1) के स्वामित्व वाली तथा उत्तरदाता सं. 2 (विपक्षकार सं. 2) द्वारा बीमित बस, पंजीकरण सं. बी.आर.-3 पी/0257, ने कंचन देवी को कुचल दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई।आरोप है कि उक्त बस लापरवाही एवं असावधानीपूर्वक चलाई जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई तथा लगभग 25 वर्षीय महिला, जो दावेदार सं. 1 की पत्नी एवं दावेदार सं. 2 से 4 की माता थीं, की तत्काल मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 27.06.2005 को थाना दीनारा कांड सं. 80/2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 304(क) के अंतर्गत दोषी बस चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया। दावेदारों ने आश्रितता की क्षति के लिए रु. 3,00,000/- की क्षतिपूर्ति का दावा किया।

4. उत्तरदाता सं. 2 ने इस मामले में विभिन्न आधारों पर अपना विरोध दर्ज कराया, जिनमें एक यह भी था कि यह आवेदन धारा 166, मोटर वाहन अधिनियम, 1988

के तहत स्वीकार्य नहीं है। उत्तरदाता सं. 1 दावा का विरोध करने के लिए पेश नहीं हुआ, अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से संचालित की गई।

5. सम्मानित न्यायाधिकरण ने कुल चार मुद्दे बनाए, जिन्हें संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

(I) क्या उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका स्वीकार्य है?

(II) क्या मृतक कंचन देवी, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी, 27.06.2005 को वाहन सं. बीआर 3 पी/0257 के लापरवाह और असावधान ड्राइविंग के कारण मृत्यु हो गई?

(III) क्या दावा कर्ताओं को माँगे गए मुआवजे का हकदार माना जाएगा?

(IV) क्या दावा कर्ताओं को कोई अन्य राहत प्राप्त करने का अधिकार है?

6. दावाकर्ताओं की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए, जैसे प्राथमिकी की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श.1), आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श.2), पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति (प्रदर्श.3), ड्राइविंग लाइसेंस (प्रदर्श.4), पंजीकरण पुस्तक की छायाप्रति (प्रदर्श.5) और बीमा पत्र की छायाप्रति (प्रदर्श.6)।

7. मुद्दा सं. I और III पर विचार करते समय, माननीय न्यायाधिकरण ने पाया कि दावा कर्ताओं ने स्वयं दावा याचिका के कंडिका '13' में उल्लेख किया कि उन्होंने पहले एक दावा मुकदमा सं. 77/2005 धारा 140, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दायर किया था। उन्हें स्वीकृत रूप से अपर जिला न्यायाधीश-1, एम.ए.सी.टी., रोहतास के आदेश के तहत 50,000/- रुपये प्राप्त हुए थे। बीमा कंपनी (उत्तरदाता सं. 2) ने यह राशि पहले ही चुका दी थी। उत्तरदाता सं. 2 ने याचिका की स्वीकार्यता पर यह आधार प्रस्तुत किया कि दावा कर्ताओं को पहले से "त्रुटि के बिना दायित्व" के सिद्धांत के तहत मुआवजा मिल चुका है, अतः उन्हें धारा 166, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चार

वर्ष बाद बाद की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभिलेख से पता चलता है कि वर्तमान याचिका वर्ष 2009 में दायर की गई, जो कि वर्ष 1988 के अधिनियम की धारा 140 के तहत पहले याचिका दायर किए जाने के लगभग चार वर्ष बाद है।

8. उत्तरदाता सं. 2 ने इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया, जो कि **(2) पीएलजेआर 123** में प्रतिवेदित **वीणा देवी एवं अन्य बनाम राम नंदन प्रसाद एवं अन्य, 2013** है, और प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के आधार पर, इस न्यायालय ने भी यह स्थापित किया है कि "त्रुटि के बिना दायित्व" के सिद्धांत के अंतर्गत मुआवजे का लाभ लेने के पश्चात्, अलग और बाद की याचिका धारा 163 ए, अधिनियम 1988 के अंतर्गत पूर्वनिर्धारित संरचित दायित्व के अनुसार, या "त्रुटि के बिना दायित्व" के सिद्धांत पर आधारित, स्वीकार नहीं की जा सकती। माननीय न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि दावा कर्ता धारा 166, अधिनियम 1988 के अंतर्गत याचिका दायर करने के पात्र नहीं हैं।

9. माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त तर्क और दृष्टिकोण व्यक्त किए जाने से पीड़ित और असंतुष्ट होकर, दावा कर्ताओं ने उक्त आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है।

<u>दावा कर्ता-अपीलकर्ता की ओर से दलीलें</u>

10. अपीलकर्तओं के पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि निःसंदेह इस मामले में दावा कर्ताओं की ओर से पहले 1988 के अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया था और दावा कर्ताओं को "त्रुटि के बिना दायित्व" के सिद्धांत पर 50,000/- रु प्रदान किया गया, परंतु 1988 का अधिनियम कल्याणकारी विधान होने के कारण, यह दावा कर्ताओं को 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन दायर करने से नहीं रोकता। उनका कहना है कि एक बार धारा 166 के अंतर्गत आवेदन दायर हो जाने पर इसे विचारार्थ लिया जाना चाहिए था तथा उचित मुआवजा प्रदान किया जाना

चाहिए था और उसके भुगतान में पहले से प्रदान की गई राशि की कटौती की जानी चाहिए थी।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि तथ्य के रूप में 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत एक अन्य मृतक दुखना देवी के पक्ष में दायर आवेदन, जो एम.वी मामला सं. 141/2009 से संबंधित है, को 15.05.2019 के न्यायनिर्णय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूरक हलफनामे के माध्यम से, मामला सं. 141/2009 (धर्मेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य परिवहन निगम एवं अन्य) में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया न्यायनिर्णय पूरक हलफनामे में अनुलग्नक-'1' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि धर्मेंद्र सिंह (सुप्रा) के मामले में न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ के निर्णय, **2002 (50) बीएलजेआर 44,** में प्रतिवेदित **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम फिदा हुसैन एवं अन्य,** पर निर्भरता की है। दलील दी गई कि मामला सं. 141/2009 में 15.05.2019 के न्यायनिर्णय में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण सही है, अतः यह न्यायालय उक्त आक्षेपित निर्णय को रद्द कर इस अपील को अनुमति प्रदान कर सकता है।

<u>यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (उत्तरदाता सं. 2) की ओर से दलीलें</u>

12. विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक प्रियदर्शी ने उत्तरदाता सं. 2 की ओर से इस अपील का विरोध किया है। दलील यह है कि अक्षेपित न्यायनिर्णय इस विषय पर सही कानून के मूल्यांकन पर आधारित है, अतः इसमें कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आश्रय लिया है, जो **(2011) एससीसीआर 409=(2011) 11 एससीसी 513** में प्रतिवेदित **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम धनबाई कंजी गधवी एवं अन्य,** में दिया गया, यह प्रस्तुत करने हेतु कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना बीमा दावों के मामलों में दावा करने वालों के पास मुआवजा प्राप्त करने का उपाय दोनों धारा

163 ए और धारा 166 के अंतर्गत है। दोनों उपायों को अधिनियम 1988 की वैधानिक योजना के अंतर्गत स्वतंत्र और अंतिम माना गया है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दावा करने वाले दोनों प्रावधानों के तहत एक साथ उपाय नहीं अपना सकते और जब दावा करने वालों ने धारा 163 ए के अंतर्गत अंतिम रूप से मुआवजा प्राप्त कर लिया, तो उन्हें धारा 166 के अंतर्गत याचिका आगे बढ़ाने से रोका जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दिए गए निर्णय का अनुसरण किया जो **दीपल गिरीषभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बरौदा, रिपोर्टेड (2004) 5 एससीसी 385** में दिया गया था।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी दलील दी कि **फिदा हुसैन** (सुप्रा) के मामला में, माननीय खंड पीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या दावाकर्ता बिना धारा 166 के अंतर्गत याचिका दायर किए सीधे धारा 140 के अंतर्गत 'त्रुटि के बिना' मुआवजा हेतु आवेदन कर सकते हैं। माननीय खंड पीठ ने धारा 140 में 'त्रुटि के बिना' दायित्व को 1988 के अधिनियम की योजना में सम्मिलित करने के पीछे के इतिहास का अनुसरण करते हुए यह निर्धारित किया कि अधिनियम कोई स्पष्ट या निहित बाधा नहीं बनाता कि कोई आवेदन सीधे धारा 140 के अंतर्गत दायर न किया जाए। खंड पीठ का मत था कि धारा 140 के अंतर्गत उपाय किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त है। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 140 के अंतर्गत 'त्रुटि के बिना' मुआवजा धारा 166 के अंतर्गत लंबित याचिका में भी दावा किया जा सकता है और जब ऐसा आवेदन किया जाता है, तो इसे पहले स्थान पर निस्तारित किया जाना चाहिए, बशर्ते अंतिम निर्णय धारा 141 की उप-धारा (3) के अनुसार किया जाए। इस प्रकार का भुगतान अस्थायी भुगतान के स्वरूप में होगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि वीणा देवी (सुप्रा) के मामला में, इस न्यायालय की समन्वय खंड पीठ को लगभग समान परिस्थिति पर विचार करना पड़ा। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी आश्रय लिया गया जैसे कि **श्रीमती यल्लुवा**

और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2007) 6 एससीसी 657, ईश्वरप्पा एटी महेश्वरप्पा और अन्य बनाम सी.एस. गुरूशांतप्पा और अन्य (2010) 8 एससीसी 620, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम धनबाई कंजी गधवी और अन्य (2011) 11 एससीसी 513 और सुरेंद्र कुमार अरोड़ा और अन्य बनाम डॉ. मनोज बिसला और अन्य (2012) 4 एससीसी 552। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहिउद्दीन कुरेशी एटी मोया और अन्य (1994 एसीजे 74, पटना)** पर भी आश्रय लिया गया। **फिदा हुसैन** (सुप्रा) के मामला में खंड पीठ का निर्णय विद्वान समन्वय खंड पीठ के समक्ष भी लाया गया, किन्तु विद्वान समन्वय खंड पीठ ने पाया कि उक्त निर्णय मोहिउद्दीन कुरेशी एटी मोया (सुप्रा) के पूर्व निर्णय को ध्यान में रखे बिना दिया गया था। अतः विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि किया कि इस न्यायालय की विद्वान समन्वय खंड पीठ ने सही रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए दावा करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया और मामला को न्यायाधिकरण को शीघ्रता से आगे बढ़ाने हेतु प्रत्यर्पित किया। वीणा देवी के मामला में दावा करने वाले को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे धारा 140 के अंतर्गत आवेदन स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएँ या उसे एक समग्र आवेदन में परिवर्तित कर अपने अधिकार क्षेत्र और उपयुक्तता के अनुसार मुआवजा का विस्तार कर सकें।

विचारणा

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरदाता सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामला एक विधि-प्रश्न उत्पन्न कर रहा है, जिसका संबंध अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अन्तर्गत प्रदत्त राहत प्राप्त कर लेने एवं उसका उपभोग कर लेने के पश्चात धारा 166 के अन्तर्गत याचिका की ग्राह्यता से है।

15. वर्तमान मामले में, दावाकर्तओं ने स्वतंत्र याचिका दायर कर धारा 140 के अंतर्गत 'त्रुटि के बिना' दायित्व के सिद्धांत पर मुआवजा प्राप्त किया। यह न्यायालय समझने में कठिनाई नहीं होगी कि स्थापित कानून के अनुसार धारा 140 के अंतर्गत याचिका स्वतंत्र रूप से 'त्रुटि के बिना' दायित्व के सिद्धांत पर स्वीकृत होती, परन्तु यह न्यायालय यह दृष्टिकोण अपनाएगा कि एक बार दावेदारों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया, तो उन्हें धारा 166 के अंतर्गत पुनः याचिका दायर करने से रोका जाएगा। 'त्रुटि के बिना' दायित्व के सिद्धांतों पर आधारित यह व्यवस्था किस प्रकार से अधिनियम में सम्मिलित हुई है, इसका विवेचन माननीय खंड पीठ के निर्णय **फिदा हुसैन** (सुप्रा) में किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में, जिसे अधिनियम सं. 47, 1982 द्वारा संशोधित किया गया, 'त्रुटि के बिना' मुआवजे से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए, पर यह केवल तब हुआ जब **केरल उच्च न्यायालय ने प्रथम बार केसावन नायर बनाम राज्य बीमा अधिकारी, रिपोर्टेड 1971 (एसीजे) 219 (केरल)** में निम्न शब्दों में यह अवलोकन किया।

> "मानवता की भावना से प्रेरित होकर और निर्दोष पीड़ित की उस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जो वाहन संचालक की लापरवाही सिद्ध करने में होती है, बीमाकर्ता पर एक समग्र दायित्व डाला जाना चाहिए, न कि केवल उन मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए जहाँ वाहन संचालक की लापरवाही सिद्ध हो चुकी हो। यह विषय न्यायालय का नहीं बल्कि विधायिका का है। किन्तु यह कानून में एक रिक्तता है जिसे मेरा विचार है कि न्यायसंगत रूप से दूर किया जाना चाहिए।"

16. इसे मा. सर्वोच्च न्यायालय ने **मंजुश्री राहा बनाम बी.एल. गुप्ता** के मामले, जिसका प्रतिवेदन **(1977) 2 एस.सी.सी. 174** में है, में भी ध्यानाकर्षित किया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिप्राय व्यक्त किया :

"अत्याधुनिक युग के आगमन के साथ, जिसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की गति को तीव्र कर दिया है, हम तीव्र गति से और भी तीव्र गति वाले वाहन-परिवहन की ओर अग्रसर हो गए हैं, जो अनेक लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, किन्तु कुछ मामलों में यह अभिशाप भी बन गया है... अब समय आ गया है कि

दोष-रहित दायित्व की स्थापना पर गंभीरता से विचार किया जाए, यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य की नीति-निदेशक तत्त्व, साधारण वाहन-दुर्घटना पीड़ितों की निर्धनता, मोटर-वाहनों का अनिवार्य बीमा, सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण तथा बस परिवहन के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती प्रवृत्ति—इन सब के आलोक में अपकृत्य विधि को, जो दोष-आधारित है, त्रुटि के बिना के आधार पर सुधार की आवश्यकता है।"

17. पुनः **(1981) 4 एससीसी 660** में प्रतिवेदित **मोटर ओनर्स' इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम जादवजी केसवजी मोदी** के मामले में मा० उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिमत व्यक्त किया :

> "हम इस मामले को निपटाए बिना एक बार फिर सरकार का ध्यान इस अत्यावश्यक आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि कानून द्वारा यह प्रावधान किया जाए कि सड़क-दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी वाद-विवाद के यथोचित क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाए। हम यह देखते हैं कि रेल या सार्वजनिक बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों से सम्बंधित सड़क-दुर्घटनाओं के मामले में प्रायः पीड़ितों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान की आधिकारिक घोषणा की जाती है, जो पाँच सौ से दो हज़ार रुपये तक की राशि होती है। यह राज्य के अपने नागरिकों के प्रति दायित्व की अत्यन्त अल्प एवं कृपण स्वीकृति है, विशेषकर उस स्थिति में जब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जुड़ी दुर्घटनाओं की आवृत्ति अविश्वसनीय सीमा तक बढ़ चुकी है... यह चार वर्ष पूर्व था जब इस न्यायालय ने मंजुश्री राहा बनाम बी.एल. गुप्ता 1977 एसीजे 134 (एससी) के मामले में चेतावनी एवं स्मरण दिलाया था।"

18. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में संसद ने यह उपयुक्त समझा कि एक विधि लाई जाए, जो 1982 में संशोधन के रूप में अस्तित्व में आई। अधिनियम संख्या 47 1982 द्वारा मोटरयान अधिनियम में प्रावधान किए गए और एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसमें धारा 92-ए तथा उससे सम्बद्ध धाराएँ सम्मिलित की गईं। अधिनियम, 1988 की धारा 140 का, अधिनियम, 1939 की धारा 92-ए से साम्य है।

19. इस अवस्था में, यह न्यायालय अधिनियम 1988 की धारा 140, 141, 144, 163-ए, 163-बी, 165 एवं 166 का पुनरुत्पादन निम्नलिखित रूप में करेगा :

"140. कुछ मामलों में त्रुटि के बिना के सिद्धांत पर मुआवज़ा देने की देयता.—(1) जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अपंगता किसी मोटरयान अथवा मोटरयानों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना से हुई हो, वहाँ वाहन का स्वामी या, जैसा भी मामला हो, वाहनों के स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से, ऐसी मृत्यु या अपंगता के संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

"(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में देय मुआवज़े की राशि पचास हज़ार रुपये की निश्चित राशि होगी और उस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति की स्थायी अपंगता के संबंध में देय मुआवज़े की राशि पच्चीस हज़ार रुपये की निश्चित राशि होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मुआवज़े के किसी भी दावा में, दावा करने वाले से यह निवेदन और सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि जिसके संबंध में दावा किया गया है, वह मृत्यु या स्थायी अपंगता वाहन अथवा वाहनों के स्वामी या स्वामियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के किसी अनुचित कार्य, उपेक्षा या त्रुटि के कारण हुई थी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मुआवज़े का दावा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि जिसकी मृत्यु या स्थायी अपंगता के संबंध में दावा किया गया है, उसका अनुचित कार्य, उपेक्षा या त्रुटि थी और न ही ऐसी मृत्यु या स्थायी अपंगता के संबंध में वसूल योग्य मुआवज़े की मात्रा को उस व्यक्ति की उत्तरदायित्व में हिस्सेदारी के आधार पर घटाया जाएगा।

(5) उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में, जिसके लिए वाहन का स्वामी राहत हेतु मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है, वह उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन भी मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

"यह उपबंधित है कि किसी अन्य विधि के अधीन दिया जाने वाला ऐसा मुआवज़ा इस धारा या धारा 163 ए के अधीन देय मुआवज़े की राशि में से घटा दिया जाएगा।"

"141. मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति का अन्य अधिकार सम्बन्धी उपबंध.—

(1) धारा 140 के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार, [किसी अन्य अधिकार (धारा 163 ए में उल्लिखित योजना के अधीन दावा करने के अधिकार को छोड़कर) — जिसे आगे इस धारा में 'दोष के सिद्धांत पर आधारित अधिकार' कहा जाएगा] — इस अधिनियम की किसी अन्य धारा अथवा किसी अन्य प्रवर्तमान विधि के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा करने के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

(2) धारा 140 के अधीन मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा यथाशीघ्र निपटाया जाएगा और जहाँ इस प्रकार की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 140 के अधीन तथा साथ ही दोष के सिद्धांत पर आधारित अधिकार के अनुसरण में

क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है, वहाँ धारा 140 के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा सर्वप्रथम निपटाया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में धारा 140 के अधीन क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति दोष के सिद्धांत पर आधारित अधिकार के अनुसार भी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है, वहाँ वह व्यक्ति प्रथम उल्लिखित क्षतिपूर्ति देगा और—

(क) यदि प्रथम उल्लिखित क्षतिपूर्ति की राशि द्वितीय उल्लिखित क्षतिपूर्ति की राशि से कम है, तो वह केवल इतनी ही द्वितीय उल्लिखित क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा (प्रथम उल्लिखित क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त) जितनी राशि से वह द्वितीय उल्लिखित क्षतिपूर्ति प्रथम उल्लिखित क्षतिपूर्ति से अधिक है।"

(ख) यदि प्रथम उल्लिखित क्षतिपूर्ति की राशि द्वितीय उल्लिखित क्षतिपूर्ति की राशि के बराबर या उससे अधिक है, तो वह व्यक्ति द्वितीय उल्लिखित क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

144. अपवर्ती प्रभाव .—

इस अध्याय के प्रावधान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध अथवा किसी अन्य प्रवर्तमान विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

163 ए. संरचित सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान.—

(1) इस अधिनियम अथवा किसी अन्य प्रवर्तमान विधि या विधि के बल वाले किसी साधन में निहित किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के स्वामी अथवा अधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, उत्तराधिकारियों अथवा पीड़ित व्यक्ति (जैसा भी मामला हो) को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ एवं विस्तार होगा जो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के किसी दावे में, दावा करने वाले को यह अभ्यावेदन करने अथवा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है वह मोटर वाहन के स्वामी अथवा वाहनों से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी दोषपूर्ण कृत्य, उपेक्षा या चूक के कारण हुई थी।

(3) केंद्रीय सरकार, जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

163 बी. कुछ मामलों में दावा दाखिल करने का विकल्प.—

जहाँ कोई व्यक्ति धारा 140 तथा धारा 163 ए दोनों के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार है, वह या तो उक्त धाराओं में से किसी एक के अधीन दावा दाखिल करेगा और दोनों के अधीन नहीं।

165. दावा न्यायाधिकरण- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण(जिन्हें इस अध्याय में आगे "दावा न्यायाधिकरण" कहा जाएगा) किसी क्षेत्र के लिए गठित कर सकती है, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उस प्रयोजन के लिए कि मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्यु अथवा व्यक्तियों की शारीरिक चोट या किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति की हानि अथवा दोनों के संबंध में क्षतिपूर्ति के दावों का निर्णय किया जा सके।

स्पष्टीकरण.— शंकाओं को दूर करने हेतु यह घोषित किया जाता है कि अभिव्यक्ति "मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्यु अथवा व्यक्तियों की शारीरिक चोट के संबंध में क्षतिपूर्ति के दावे" में धारा 140 [और धारा 163 ए] के अधीन क्षतिपूर्ति के दावे सम्मिलित होंगे।

(2) उपधारा 1 के तहत एक दावा न्यायाधिकरण में उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नियुक्त करना उचित समझे और जहाँ यह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा, वहाँ उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति तब तक दावा न्यायाधिकरणका सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक वह—(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो, या (ख) जिला न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो, या (ग) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह न हो।

(4) जहाँ किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा न्यायाधिकरण गठित किए गए हों, वहाँ राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कार्य का वितरण विनियमित कर सकती है।

166. क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन— (1) धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है—

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी हो; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जहाँ दुर्घटना से मृत्यु हुई हो, मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधियों द्वारा; या

(घ) घायल व्यक्ति अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधियों द्वारा विधिपूर्वक अधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा।

परंतु यह कि जहाँ मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि ऐसे किसी क्षतिपूर्ति आवेदन में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहाँ आवेदन सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से अथवा उनके लाभ के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में अभिभुक्त किया जाएगा।

[(2) प्रत्येक आवेदन उपधारा (1) के अधीन, दावाकर्ता के विकल्प पर, या तो उस दावा न्यायाधिकरणको किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई हो या उस दावा न्यायाधिकरणको जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में दावाकर्ता निवास करता हो या

> व्यवसाय करता हो या प्रतिवादी निवास करता हो, और वह ऐसे रूप में तथा ऐसे विवरण सहित होगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए:
>
> परंतु यह कि जहाँ ऐसे आवेदन में धारा 140 के अधीन क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया गया हो, वहाँ आवेदन में उस प्रभाव का पृथक कथन आवेदक के हस्ताक्षर से ठीक पूर्व निहित होगा।]
>
> [* * * *]
>
> [(4)दावा न्यायाधिकरण, धारा 158 की उपधारा (6) के अधीन उसे प्रेषित दुर्घटना की किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के आवेदन के रूप में ग्रहण करेगा।]

20. फ़िदा हुसैन (उपर्युक्त) के मामले में माननीय खण्डपीठ के समक्ष विचारार्थ जो प्रश्न आया था, वह यह था कि क्या धारा 166 के अंतर्गत याचिका दाखिल किए बिना 1988 के अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत 'त्रुटि के बिना' क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन बनाए रखना सम्भव है। इसी संदर्भ में माननीय खण्डपीठ ने संपूर्ण मुद्दे पर विचार किया। यहाँ तथ्यों की स्थिति पूर्णतः भिन्न है। इस मामले में 1988 के अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के चार वर्षों के पश्चात् दावा–कर्ता अब 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत आवेदन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

21. इस न्यायालय के मतानुसार, वर्तमान मामले में **धनबाई कंजी गधवी** (उपर्युक्त) का मामला मार्गदर्शक निर्णय होगा। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि यह माना कि 1988 के अधिनियम की धारा 163-ए और 166 विधिक ढांचे के अनुसार अंतिम और स्वतंत्र हैं, तथापि दावा–कर्ता एक साथ दोनों प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। **धनबाई कंजी गधवी** (उपर्युक्त) के निर्णय के कंडिका 12, 13 और 14 को यहाँ पुनः उद्धृत किया जा रहा है:

> "12. 1988 के अधिनियम की धारा 163ए के उद्देश्य पर विचार करने पर, जिसे 1994 के अधिनियम की धारा 51 द्वारा 14-11-1994 से सम्मिलित किया गया था, और उप-धारा (1) की अवरोधक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा यह नहीं था कि केवल इसलिए दावा–कर्ता को संरचित सूत्रानुसार मुआवजा प्राप्त करने से रोका जाए क्योंकि उसकी मूल दावा याचिका में उसने "त्रुटि दायित्व" के आधार पर मुआवजे की प्रार्थना की थी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसी भी प्रावधान में यह निषेध नहीं है कि दावा–कर्ता धारा 166 के तहत दावा याचिका दाखिल करने के पश्चात् संरचित सूत्रानुसार मुआवजे की

प्रार्थना न कर सके। अतः यह न्यायालय पाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रदर्श 6 में एमएसीपी सं. 759/1997 में धारा 166 के तहत याचिका दाखिल कर, न्यायाधिकरण से धारा 163 ए के अनुसार संरचित सूत्रानुसार मुआवजा देने की प्रार्थना करना पूर्णतया न्यायसंगत था। यह न्यायालय आगे पाता है कि न्यायाधिकरण ने उक्त याचिका स्वीकार करने और उत्तरदाताओं को धारा 163 ए के अनुसार 2,65,500/- रु मुआवजा प्रदान करने में कोई त्रुटि नहीं की।

13. तथापि, दीपाल गिरीशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बारोडा (2004) 5 एससीसी 385 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह प्रश्न विचार किया कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 ए के तहत कार्यवाही अंतिम है, जिसके कारण, जिस दावा–कर्ता को धारा 163 ए के तहत मुआवजा प्रदान किया गया, वह धारा 166 के तहत त्रुटि दायित्व के आधार पर आगे कोई दावा नहीं कर सकता। धारा 163 ए के तहत व्यवस्था का विचार करने के पश्चात् यह कहा गया कि संसद ने उन पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा देने हेतु एक समग्र योजना निर्धारित की, जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बिना मुआवजे की आवश्यकता थी। यहाँ निर्णय यह बताता है कि धारा 163 ए के तहत निर्धारित और दिया गया मुआवजा अंतिम है, न कि अंतरिम। दीपाल सोनी (उपर्युक्त) के निर्णय से स्पष्ट कानून यह है कि धारा 163 ए और 166 दोनों के तहत मुआवजा प्राप्त करने का उपाय अंतिम और स्वतंत्र होने के कारण, दावा–कर्ता एक साथ दोनों प्रावधानों के तहत अपने उपायों का प्रयोग नहीं कर सकता। इस निर्णय के अनुसार, दावा–कर्ता को विकल्प/चयन करना होगा कि वह धारा 163 ए के तहत या धारा 166 के तहत कार्यवाही करेगा, परंतु दोनों के तहत नहीं।

14. दीपाल सोनी (उपर्युक्त) में निर्धारित सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने पर यह कहा जाएगा कि उत्तरदाताओं ने धारा 163 ए के तहत अंतिम रूप से मुआवजा प्राप्त कर लिया है, अतः उन्हें धारा 166 के तहत दाखिल याचिका में आगे कार्यवाही करने से रोका गया है। अपील न्यायमूर्ति द्वारा अपीलित निर्णय में बताई गई अपवाद कि धारा 163 ए के तहत पुरस्कार पारित होने से पहले धारा 166 के तहत याचिका आगे बढ़ सकती है, धारा 163 ए और 166 की व्यवस्था के अनुरूप समर्थित नहीं है और दीपाल सोनी के निर्णय में स्थापित कानून के सिद्धांत के विपरीत है। अतः यह न्यायालय यह मानता है कि उच्च न्यायालय का वह अपीलित निर्णय, जो न्यायाधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं को धारा 166 के तहत याचिका में आगे कार्यवाही करने की अनुमति देने के आदेश को बनाए रखता है, उसे बनाए नहीं रखा जा सकता और उसे निरस्त करना होगा।

22. इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ ने, **वीना देवी एवं अन्य** (उपर्युक्त) के मामले पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **श्रीमती यल्लव्वा एवं अन्य** (उपर्युक्त) पर भरोसा किया, ताकि यह देखा जा सके कि 'त्रुटि के बिना' देयता के सिद्धांत पर तथा 'त्रुटि' देयता के सिद्धांत पर दायर की जाने वाली

आवेदनों में क्या भिन्नता और अंतर है, जैसा कि धारा 140 की उप-धारा (3) तथा धारा 163 ए की उप-धारा (2) अधिनियम 1988 में निहित है। यह ध्यान दिया गया है कि धारा 140 की उप-धारा (1) और धारा 163 ए अधिनियम में, दावा करने वालों को मुआवज़ा देने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों में अंतर किया गया है। अधिनियम की धारा 140 में केवल वाहन का स्वामी या स्वामीगण उत्तरदायी ठहराए गए हैं, जबकि धारा 163 ए अधिनियम में, उपयुक्त मामले में स्वामी के स्थान पर वाहन का बीमाकर्ता भी समान रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

23. यह भिन्नता श्रीमति यल्लव्वा एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में ध्यान में लाई गई है। उक्त निर्णय के कंडिका 9 और 10 त्वरित संदर्भ हेतु निम्नलिखित रूप में पुनरुत्पादित किए जा रहे हैं :

> "9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि न्यायाधिकरण का पंचार्ट अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाना है। उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायाधिकरण को बीमाकर्ता को नोटिस जारी करना होता है और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना होता है। अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों के अनुसार पुरस्कार देते समय धारा 166 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। तथापि, धारा 168 के साथ संलग्न प्रावधान यह निर्धारित करता है कि जहाँ ऐसा आवेदन धारा 140 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा करता है, वहाँ ऐसे दावे तथा उस मृत्यु या स्थायी अपंगता के संबंध में अन्य कोई भी दावा (चाहे वह उक्त आवेदन में किया गया हो अथवा अन्यथा) अधिनियम के अध्याय X के प्रावधानों के अनुसार ही निस्तारित किए जाएँगे। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, धारा 140 बिना दोष उत्तरदायित्व का प्रावधान करती है। इसमें "मोटर वाहन के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटना" तथा वाहन का स्वामी और जहाँ 2 से अधिक वाहन सम्मिलित हों, वहाँ "वाहनों के स्वामी" संयुक्त एवं पृथक रूप से क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।
>
> 10. अतः उक्त प्रावधान वाहनों के स्वामियों को उत्तरदायी बनाता है परंतु बीमाकर्ता को स्वयमेव नहीं, चाहे दावा-पत्र का निस्तारण अधिनियम के अध्याय X अथवा अध्याय XII के

> अंतर्गत क्यों न किया जाना हो। अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिरक्षा उठाना अनुमेय है। यहाँ तक कि यदि वाहन का स्वामी दुर्घटना में सम्मिलित नहीं है तो वह धारा 140 के अनुसार कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

24. न्यायालय ने यह माना कि किसी दिए गए मामले में बीमा कंपनी की वैधानिक देयता 'शून्य' भी हो सकती है अथवा अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि से कम भी हो सकती है, अतः धारा 140 के प्रावधानों के अंतर्गत पृथक आवेदन दायर किए जाने पर, अधिनियम की धारा 168 के अनुसार, बीमाकर्ता को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, और ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी के लिए यह खुला होगा कि वह यह प्रतिवाद करे और सिद्ध करे कि वह बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।"

25. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहियुद्दीन कुरैशी उर्फ़ एमडी मोया एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका '11' में निम्नानुसार निर्णय दिया:

> "11. उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उक्त अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत आवेदन पृथक रूप से दायर किया जा सकता है। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 166 में एक सम्मिलित आवेदन दायर करने का प्रावधान किया गया है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (2) में संलग्न उप-प्रावधान से स्पष्ट है।

26. सुरेन्दर कुमार अरोड़ा (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वारियाल और अन्य [(2007) 5 एसीसी 428]** के निर्णय का अनुसरण किया गया और यह धारणा अपनाई गई कि किसी दुर्घटना के पीड़ित या उसके आश्रितों के पास विकल्प होता है कि वे अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत कार्यवाही करें या अधिनियम की धारा 163ए के अंतर्गत। एक बार जब वे अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के पास जाते हैं, तो उन्हें संबंधित वाहन के चालक या स्वामी की लापरवाही स्थापित करने का भार स्वयं उठाना पड़ता है। किंतु यदि

वे अधिनियम की धारा 163 ए के अंतर्गत कार्यवाही करते हैं, तो मुआवजा अनुसूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा, बिना यह कहे कि पीड़ित या उसके आश्रितों को वाहन के स्वामी या चालक की किसी लापरवाही या दोष को स्थापित करना पड़े।

27. विद्वान समन्यवय पीठ ने **वीना देवी** (सुप्रा) के मामले में न्यायालय के कंडिका '12' में निम्न शब्दों में निष्कर्ष निकाला है:

> "12. और यह भी समान रूप से सत्य है कि विधायकों ने दावाकर्ताओं को उनके दावों के लिए त्रुटि के बिना आधार पर अधिनियम की धारा 140 या धारा 163(ए) के अंतर्गत आगे आने का प्रावधान किया है, किन्तु इसी समय, ऐसे दावाकर्ताओं को दोनों धाराओं के अंतर्गत दो स्वतंत्र आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित किया गया है। जैसा कि स्पष्ट रूप से धारा 163(बी) में प्रतिपादित प्रावधान से प्रत्यक्ष है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि त्रुटि के बिना के सिद्धांत पर दावाकर्ताओं के पास केवल दो विकल्प हो सकते हैं—या तो अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्धारित निश्चित राशि के लिए दावा करना या संरचित सूत्र के आधार पर अनुसूची – II के अनुसार दावा करना। किन्तु यदि दावाकर्ता स्वतंत्र रूप से अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पास अधिनियम की धारा 163(ए) के अंतर्गत कोई दावा नहीं हो सकता।"

28. यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामले में दावाकर्ताओं ने 1988 अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत त्रुटि के बिना आधार पर अपना उपाय प्राप्त किया। उनके पास यह विकल्प था कि वे अधिनियम की धारा 140 या धारा 163 ए के अंतर्गत अपने उपाय का लाभ उठाएं। एक बार जब उन्होंने अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्धारित निश्चित राशि के लिए विकल्प चुना, तो अधिनियम की धारा 163 बी के अनुसार उन्हें संरचित सूत्र आधारित अनुसूची II के अनुसार मुआवजे के लिए धारा 163 बी के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित किया गया। दावाकर्ता धारा 166 के अंतर्गत आवेदन करके अधिनियम की धारा 140 के तहत अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना कर सकते थे।

29. दिए गए परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय किसी कठिनाई के बिना निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि जैसा कि ऊपर संदर्भित न्यायालयीन निर्णय में प्रतिपादित है, यदि कोई दावाकर्ता जिसने अधिनियम की धारा 163 ए के अंतर्गत अपना उपाय प्राप्त किया है, उसे

धारा 166 के अनुसार त्रुटि दायित्व के आधार पर किसी भी आगे के दावे के लिए आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो वर्तमान मामले में भी दावाकर्ताओं की स्थिति समान होगी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत अपना उपाय चुना है, क्योंकि विधानसभाओं ने कभी यह कल्पना नहीं की कि दावाकर्ता एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत की ओर तब जाकर जाएंगे जब उन्होंने अपने द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार मुआवजा प्राप्त कर लिया हो। अतः, निर्धारित विधिक प्रश्न का उत्तर इसी के अनुसार दिया जाता है। यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाता।

30. यह अपील खारिज की जाती है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

अरविंद/राजीव -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।